प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.10.2025

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में कमिश्नरेट स्तर पर नवगठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री प्रदीप शर्मा थाना मधुबन बापूधाम द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 452/376/506 भादवि एवं ¾ पोक्सो अधिनियम में अभियुक्त अकबर पुत्र बाबू निवासी नाले की पटरी के किनारे ग्राम सहविस्बा थाना मुरादनगर, गाजियाबाद को मा० विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 08.10.2025 को धारा 4 पोक्सो अधिनियम में 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 452 भादवि में 4 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5 हजार के अर्थदण्ड एवं धारा 506 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दिनांक 07.07.2022 को वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किये जाने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में वादिया द्वारा थाना मधुबन बापूधाम पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री उत्कर्ष वत्स विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट)	मु0आ0 जितेन्द्र कुमार पैरोकार, कन्विक्शन सेल	मु0आ0 जितेन्द्र शर्मा कोर्ट पैरोकार थाना मधुबन बापूधाम

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 40021.21/- की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 19.08.2025 को साइबर सेल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका अकांक्षा अग्रवाल निवासी म0न0-06 गली शीलचन्द डासना गेट गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई 40021.21 /- रु धनराशि आवेदिका को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका अकांक्षा अग्रवाल के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि के सम्बन्ध मे सम्बधित बैक से पत्राचार व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 08/10/2025 को आवेदिका के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 40021.21 /- रू की धनराशि साइबर सेल टीम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गया । आवेदक द्वारा थाना कोतवाली नगर आकर थाना प्रभारी महोदय एवं साइबर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना कोतवाली नगर ।